

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक — **124** / 2ई0व0भू0,
सेवा में,

दिनांक **12** / 01 / 2023

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय :- जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी0 15 से उडलगाँव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.261 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक 1097 / FP/UK/ROAD/154869/2022 दिनांक 21 अक्टूबर, 2022

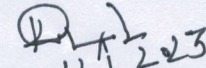
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करें, अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर निस्तारण आख्या निम्न प्रकार है :-

क्रम सं०	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	प्रस्ताव में विषयसूची संलग्न की जानी अपेक्षित है।	प्रस्ताव में विषयसूची पृष्ठ संख्या के अनुसार अंकित कर तीन प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।
2	प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-1, भाग-2 एवं भाग-3 को प्रस्ताव के आरम्भ में कमवार संलग्न किया जाय।	भाग-1, भाग-2 एवं भाग-3 को प्रस्ताव के आरम्भ में कमवार संलग्न कर तीन प्रतियों में प्रेषित की जा रही हैं।
3	प्रस्ताव में संलग्न वन अधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित समस्त प्रपत्रों को कमवार प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।	वन अधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित समस्त प्रपत्रों को कमवार प्रस्ताव में संलग्न कर तीन प्रतियों में प्रेषित की जा रही हैं।
4	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्ताव में संलग्न की जानी है।	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रस्ताव में 3 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।
5	प्रस्ताव में संलग्न बार-चार्ट में प्रभावित होने वाली नाप भूमि को संकेत तालिका में दर्शाते हुए बारचार्ट में अंकित करें।	बार-चार्ट में प्रभावित होने वाली नाप भूमि को संकेत तालिका में दर्शाते हुए बारचार्ट में अंकित कर दिया गया है।
6	प्रस्ताव में बॉज बृक्षों के प्रभावित होने अथवा न होने के संबंध में संबंधित वन संरक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।	कार्यवाही वन संरक्षक अल्मोड़ा द्वारा की जानी है।
7	प्रस्तावित परियोजना में नाप भूमि प्रभावित हो रही है, इस संबंध में संबंधित भू-स्वामियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया जाना है।	प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र-2.23, प्रपत्र 54 एवं प्रपत्र 1.6 ग्राम सभा की खुली बैठक का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं।
8	प्रस्ताव में एन0पी0वी0 की देयता का कटिंग रहित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।	आपके स्तर से निस्तारण किया जाना है।

संलग्न- प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

डिस्पैचर
12/01/2023
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर


Executive Engineer
Provincial Division PWD
Bageshwar